

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता विकास एवं (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक:- 687/नि.प्र. /2020

दिनांक: 04.03.2020

कार्यालय आदेश

विश्वश्वरैया प्रेक्षागृह लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के आरक्षण हेतु संशोधित नियमावली-2014 के अनुसार प्रेक्षागृह का आरक्षण प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त किया जाना वांछित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेक्षागृह के आरक्षण का अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार प्रमुख अभियन्ता (प्रभारी भवन कार्य) को प्रतिनिधित्व (Delegate) किया जाता है।


अतः तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक विश्वश्वरैया प्रेक्षागृह लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का आरक्षण प्रमुख अभियन्ता (प्रभारी भवन कार्य) के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा।

(आर०आर० सिंह)

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि०/नियो०) लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(भवन)/ (मु०-1)/ (मु०-2), लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता दशम् वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड-1, लो०नि०वि०, लखनऊ।



प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि०, लखनऊ